

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या - पी.आर. 26 / 2024

ERC NCTE से मान्यता एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त राज्य के डी.एल.एड. कोर्स संचालित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं डी.एल.एड. प्रशिक्षण सत्र 2023-25 में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों के लिये तृतीय स्पॉट नामांकन (Spot Admission) की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा विज्ञप्ति संख्या- पी०आर० 01 / 2024 के क्रम में सूचित किया जाता है राज्य के डी.एल.एड. कोर्स संचालित प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2023-25 में नामांकन हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2023 के आधार पर समिति से प्रसारित विभिन्न विज्ञप्तियों के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने तथा तीन चरणों में चयन सूची प्रकाशित कर एवं दो चरणों में स्पॉट प्रक्रिया से नामांकन की कार्यवाही की गई है। इसके बावजूद राज्य के संस्थानों में स्वीकृत सीटों के विरुद्ध कतिपय सीट रिक्त रह गए हैं। अतएव अभ्यर्थी हित में रिक्त रह गए सीटों पर नामांकन हेतु तृतीय स्पॉट नामांकन का एक और अवसर प्रदान किया जाता है, जिसका विवरण अग्रोतर कड़िकाओं में है।

2. तृतीय स्पॉट नामांकन हेतु संस्थानवार रिक्त सीटों का विवरण समिति के पोर्टल <http://deledbihar.com> पर दिनांक 20.01.2024 को अपलोड किया जाएगा।

3. तृतीय स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया से नामांकन पर विचार हेतु डी.एल.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण एवं विज्ञप्ति संख्या- पी०आर० 387 / 2023 में वर्णित योग्य/पात्रता धारण करने वाले निम्न श्रेणी के अभ्यर्थी पात्र होंगे :-

(क) वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 05.06.2023 से 15.06.2023 तक आयोजित डी.एल.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2023 में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण हुए थे और जिन्हें उत्तीर्णता का स्कोर कार्ड निर्गत है।

(ख) वैसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा CAF (Common Application Form) एवं शुल्क ऑनलाईन पूर्व में जमा किया गया है, किन्तु उनका चयन किसी भी चयन सूची में अथवा प्रथम स्पॉट नामांकन अन्तर्गत नहीं हुआ है, अथवा

(ग) वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची एवं तृतीय चयन सूची अथवा प्रथम एवं द्वितीय स्पॉट नामांकन की प्रक्रियान्तर्गत चयन होने के पश्चात् भी नामांकन नहीं लिया है।

(घ) जारी की गई प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयन सूची के आलोक में आवंटित संस्थानों में नामांकित अभ्यर्थी अथवा प्रथम एवं द्वितीय स्पॉट नामांकन में नामांकित अभ्यर्थी तृतीय स्पॉट नामांकन के लिये पात्र नहीं हैं।

4. उपर्युक्त श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के तृतीय स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया निम्नवत् है :-

i. इच्छुक अभ्यर्थी सर्वप्रथम समिति के पोर्टल पर जाकर संस्थानवार रिक्त सीटों की संख्या से अवगत हो लेंगे।

ii. अभ्यर्थी समिति पोर्टल पर जाकर अपना Login कर स्पॉट नामांकन हेतु अपना CAF डाउनलोड कर लें।

iii. तत्पश्चात् अभ्यर्थी जिस संस्थान में रिक्त के विरुद्ध नामांकन को इच्छुक हैं, वहाँ संगत अभिलेखों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ संस्थान में अपना नामांकन आवेदन समर्पित करेंगे। नामांकन आवेदन के साथ अभ्यर्थी अपने सभी अकादमिक प्रमाण-पत्रों, आरक्षण कोटि/अन्य कोटि से संबंधित प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के अलावे अपना स्कोर कार्ड एवं CAF अवश्य संलग्न करेंगे।

iv. संस्थान आवेदक अभ्यर्थियों के CAF No. को अपने लॉग इन में प्रविष्ट कर यह संतुष्ट हो लेंगे कि उक्त आवेदक का नामांकन किसी भी संस्थान में नहीं हुआ है।

5. सरकारी संस्थानों में नामांकन हेतु शैतिज आरक्षण के क्रम में जिस श्रेणी में सीट के विरुद्ध एक भी अभ्यर्थी Qualify नहीं किया हो तो वैसे सीटों के विरुद्ध उस आरक्षित जाति कोटि के ही अभ्यर्थियों को जो मेधासूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अनुसार ठीक नीचे हो उनका चयन कर नामांकन प्रक्रिया पूर्ण की जाए।

5.1 SC, ST, EBC, BC में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उनके स्थान पर किस जाति कोटि के लिए सीट परिवर्तित किया जाना है, इस संबंध में बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण अधिनियम, 2003)- बिहार अधिनियम संख्या- 16, 2003 की धारा 6 'क' में प्रावधान किए गए हैं, जो समिति की वेबसाइट पर अपलोड है। उक्त के आलोक में नामांकन की कार्यवाही की जाए।

6. स्पॉट नामांकन की विभिन्न गतिविधियों की समय तालिका निम्नवत् है :-

कार्य	तिथि
तृतीय स्पॉट नामांकन हेतु रिक्त सीटों का विवरण समिति के पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि	20.01.2024
अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने की तिथि	20.01.2024 से 22.01.2024 तक
प्राप्त आवेदनों के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार कर उक्त के आधार पर नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि	24.01.2024 तक
नामांकन के पश्चात् समिति के पोर्टल पर अद्यतन करने की तिथि	24.01.2024 की संध्या 6:00 बजे तक

7. समिति की विज्ञप्ति संख्या- पी०आर० 01 / 2024 में निर्धारित अन्य निर्देश एवं शर्तें यथावत् रहेंगे।

परीक्षा नियंत्रक (विविध)